न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/81/2025	2025/	07.08.2025	20.08.2025

1– कमरूदीन पुत्र सुल्तान जाति मेंव, निवासी ग्राम भाखेडा तहसील अलवर जिला अलवर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास, तहसील किशनगढबास, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास निर्णय दिनाक 06.12.2024 नामान्तकरण संख्या 2452 वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित

01. श्री खुर्शीद अहमद — वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के नामान्तकरण संख्या 2452 वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास निर्णय दिनाक 06.12.2024 से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 433 रकबा 0.4800 है0, 434 रकबा 0.4600 है0, 436 रकबा 0.6700 है0, 437 रकबा 0.6200 है0, 905 रकबा 1.1800 है0, 919 रकबा 0.4300 है0, किता 6 रकबा 3.8400 है0 में से 1/8 भाग जरिये रजिस्टर्ड बयनामा कंमाक 202303359101577 दिनाक 16.08.2024 व शुद्विपत्र संख्या 202402359002099 दिनाक 25.07.2024 को अपीलान्ट ने देशराज पुत्र भगवान जाति अहीर निवासी मकान न0 1022 गली न0 2 ग्राम राजोकरी साउथ वेस्ट दिल्ली 110038 से पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर खरीद किया था तथा बयनामा कंमाक 202303359101577 दिनाक 16.08.2024 व शुद्विपत्र संख्या 202402359002099 दिनाक 25.07.2024 का नामान्तकरण संख्या 2452 दिनाक 05.11.2024 ग्राम कोलगांव हल्का पटवारी द्वारा दस्तावेजात बयनामा के आधार पर दर्ज किया जाकर वास्ते मंजूर करने तहसीलदार किशनगढबास के समक्ष पेश किया गया। तहसीलदार किशनगढबास द्वारा दिनाक 06.12.2024 को नामान्तकरण मुताबिक पटवारी रिपोर्ट और दस्तावेज स्वीकार नही का अंकन करते हुऐ खारिज कर दिया गया, जो खिलाफ कानूनी व दस्तावेज है। वक्त बयनामा कंमाक 202303359101577 दिनाक 16.08.2024 से आज दिनाक तक कब्जा अपीलान्ट का चला आ रहा है। नामान्तकरण संख्या 2452 दिनाक 05.11.2024 निर्णय दिनाक 06.12.2024 को अपीलान्ट के नाम दर्ज व मंजूर किये जाने के आदेश पारित किये जावे। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2452 दिनाक 05.11.2024 निर्णय दिनाक 06.12.2024 विधि विरूद्व मंजूर किये जाने के कारण काबिले खारिज है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनाक 04.08.2025 को हुई। जानकारी होने पर नकुलात प्राप्त की जिस पर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है। सर्व प्रथम जानकारी की दिनाक 04.08.2025 से अपील हाजा साधारणतया अन्दर अवधि पेश है, चूँकि तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी पूर्व में नही थी इस लिए दिनाक 06.12.2024 से दिनाक 04.8.08.2025 तक का समय अपीलान्ट को कन्डोन फरमाया जावे। अपील किये जाने मे हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 को पृथक से पेश है। अपील अपीलान्ट अन्दर

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

मियाद ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2452 वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास निर्णय दिनाक 06.12.2024 निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम पार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2452 वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास निर्णय दिनाक 06.12.2024 के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 05.08.2025 को पेश की गयी है, प्रस्तुत अपील करीब 08 माह अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है। हम अपील का निस्तारण केवल दफा 5 के आधार पर न करके अपील का निस्तारण गुणणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। विलम्ब के मामलो में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्रष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है, अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा न0 433 रकबा 0.4800 है0, 434 रकबा 0.4600 है0, 436 रकबा 0.6700 है0, 437 रकबा 0.6200 है0, 905 रकबा 1.1800 है0, 919 रकबा 0.4300 है0, किता 6 रकबा 3.8400 है0 में से 1/8 भाग जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रंमाक 202303359101577 दिनाक 16.08.2024 व शुद्विपत्र संख्या 202402359002099 दिनाक 25.07.2024 को अपीलान्ट ने देशराज पुत्र भगवान जाति अहीर निवासी मकान न0 1022 गली न0 2 ग्राम राजोकरी साउथ वेस्ट दिल्ली 110038 से पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर खरीद किया था तथा बयनामा क्रंमाक 202303359101577 दिनाक 16.08.2024 व शुद्विपत्र संख्या 202402359002099 दिनाक 25.07.2024 का नामान्तकरण संख्या 2452 दिनाक 05.11.2024 ग्राम कोलगांव हल्का पटवारी द्वारा दस्तावेजात बयनामा के आधार पर दर्ज किया जाकर वास्ते मंजूर करने तहसीलदार किशनगढबास के समक्ष पेश किया गया। तहसीलदार किशनगढबास द्वारा दिनाक 06.12.2024 को नामान्तकरण मुताबिक पटवारी रिपोर्ट और दस्तावेज स्वीकार नही का अंकन करते हुऐ खारिज कर दिया गया। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 2452 वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास में वर्णित आराजी आराजी खसरा न0 433 रकबा 0.4800 है0, 434 रकबा 0.4600 है0, 436 रकबा 0.6700 है0, 437 रकबा 0.6200 है0, 905 रकबा 1.1800 है0, 919 रकबा 0.4300 है0, किता 6 रकबा 3.8400 है0 में से 1/8 भाग जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रंमाक 202303359101577 दिनाक 16.08.2024 व शुद्विपत्र संख्या 202402359002099 दिनाक 25.07.2024 को अपीलान्ट ने देशराज पुत्र भगवान जाति अहीर निवासी मकान न0 1022 गली न0 2 ग्राम राजोकरी साउथ वेस्ट दिल्ली 110038 से पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर खरीद किया था तथा बयनामा क्रंमाक 202303359101577 दिनाक 16.08.2024 व शुद्विपत्र संख्या 202402359002099 दिनाक 25.07.2024 का नामान्तकरण संख्या 2452 दिनाक 05.11.2024 ग्राम कोलगांव हल्का पटवारी द्वारा दस्तावेजात बयनामा के आधार पर दर्ज किया जाकर वास्ते मंजूर करने तहसीलदार किशनगढबास के समक्ष पेश किया गया जिस पर तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा दिनाक 06.12.2024 को नामान्तकरण मुताबिक पटवारी रिपोर्ट और दस्तावेज स्वीकार नही का अंकन करते हुऐ खारिज कर दिया गया। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है, अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है, तहसीलदारा किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनाक 06.12.2024 नामान्तकरण संख्या 2452 वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहत अदालत को प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित–प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलेक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)

अपील अपीलान्ट निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–